प्रेषक,

परशुराम
अपर प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय, बदायूँ।

सेवा में,

माननीय निदेशक अभियोजन,
अभियोजन निदेशालय, शालीमार टावर (लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स),
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर-प्रदेश।

द्वारा-

माननीय प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय, बदायूँ।

विषय- उत्तर-प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित 28 जून, 2024 सपठित शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11.07.2024 के आलोक में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने हेतु निर्धारित प्ररुप पर विकल्प प्रस्तुत किये जाने के संबंध में,

महोदय,

उपर्युक्त विषयांकित के सम्बन्ध में ससम्मान निवेदन है कि उत्तर-प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित 28 जून, 2024 सपठित शासनादेश संख्या- 20/2024 सा-3-276/दस/2024/301(1)/2024 दिनांक 11.07.2024 तथा माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या- 9691/IV-F-82(Pension)/Admin.(A) Dated: July 16, 2024 के आलोक में ऐसे राज्य कार्मिक जिनकी नियुक्ति दिनांक 28.03.2005 के पूर्व की विज्ञप्ति के अनुक्रम में हुई है, उन्हें पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु विकल्प का प्रारूप निर्गत करते हुए **पुरानी पेंशन योजना** का विकल्प स्वीकार करने हेतु अवसर दिया गया है।

उपर्युक्त के अनुक्रम में ससम्मान अवगत कराना है कि प्रार्थी वर्तमान में अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बदायूँ, उत्तर-प्रदेश के पद पर नियुक्त है । न्यायिक सेवा में प्रार्थी की नियुक्ति लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद, उ०प्र० द्वारा निर्गत विज्ञप्ति **No- A-2/E–1/2003 dated 15.11.2003 "Employment News" dated-22-28 नवम्बर 2003** के अनुक्रम में उत्तर-प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग-4, संख्या- 2430/दो-04-06-32(1)/2001 टीसी.-1,लखनऊ : दिनांक : **26.05.2006** के अनुपालन में दिनांक **21.06.2006** को जनपद ग़ाजीपुर में सिविल जज (जू०डि०) के पद पर हुई थी। प्रार्थी की नियुक्ति इससे पूर्व लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद, उत्तर-प्रदेश द्वारा निर्गत विज्ञप्ति संख्या- **A-4/E–1/2002** दिनांकित 31.12.2002 के अनुक्रम में उत्तर-प्रदेश शासन गृह (पुलिस) अनुभाग-9 कार्यालय ज्ञाप संख्या- 668/छ-पु०-9-31(100)/2004 दिनांकित **28.03.2005** के द्वारा हुई थी । प्रार्थी द्वारा निदेशक अभियोजन, उ०प्र०, लखनऊ के आदेश संख्या-एक-दो-136-2004/1861/05 दिनांकित 29.03.2005 के अनुपालन में दिनांक **11.04.2005** को डा० भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में सहायक अभियोजन अधिकारी (प्रशिक्षु) के पद का कार्यभार ग्रहण किया गया था । तदुपरांत अभियोजन निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के आदेश संख्या- एक-दो-136-2004/5568/05 दिनांक 03.10.2005 के अनुक्रम में प्रार्थी की नियुक्ति

Scanned with OKEN Scanner

अभियोजन विभाग सीतापुर में हुई थी । अभियोजन निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के आदेश संख्या-एक-दो-एपीओ कार्यमुक्त/2006/4622/06 दिनांकित 19.06.2006 के अनुपालन में प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.06.2006 को अभियोजन विभाग सीतापुर से सिविल जज (जू०डि०) पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु नियमानुसार कार्यमुक्त होकर दिनांक **21.06.2006** को जनपद गाजीपुर में सिविल जज (जू०डि०) का कार्यभार ग्रहण किया गया । यह भी सादर अवगत कराना है कि वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के अशासकीय संख्या-3-567/दस-2012 दिनांक 29 जून, 2012 में प्राप्त सहमति उपरांत उत्तर-प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग-4 संख्या-568/दो-04-2012-23(4)/2010, लखनऊ दिनांक 03.08.2012 के द्वारा प्रार्थी की दोनों विभाग की सेवाएं जोड़ी (संयोजन) जा चुकी है । प्रार्थी **पुरानी पेंशन योजना के विकल्प को स्वीकार करता है**। उत्तर-प्रदेश शासन द्वारा विकल्प प्रेषित करने हेतु निर्गत प्रारूप पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प स्वीकार करते हुए साथ में संलग्न किया जा रहा है। मेरा पुरानी पेंशन योजना का विकल्प अन्तिम विकल्प माना जाये।

अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि प्रार्थी की **पुरानी पेंशन योजना** के विकल्प को चुनने संबंधी कार्यवाही को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के साथ-साथ अधोहस्ताक्षरी व श्रीमान महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को नियमानुसार कृतकार्यवाही से सूचित करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांकः 22.08.2024

भवदीय

22/08/24

(परशुराम)

अपर प्रधान न्यायाधीश,

कुटुम्ब न्यायालय, बदायूँ।

संलग्रकः-

1-विकल्प पत्र

2-दोनों सेवाएं जोड़े जाने संबंधी निर्गत पत्र की प्रति

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित-

1- श्रीमान महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ०प्र० ।

2- अपर मुख्य सचिव कार्मिक, लखनऊ, उ०प्र० ।

3- अपर मुख्य सचिव नियुक्ति, लखनऊ, उ०प्र० ।

4- अपर मुख्य सचिव, वित्त, लखनऊ, उ०प्र० ।

22/08/24

(परशुराम)

अपर प्रधान न्यायाधीश

कुटुम्ब न्यायालय, बदायूँ।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश

पत्रांक संख्या- 176 दिनांकः 23 अगस्त, 2024

अग्रसारित

23.8.2024

प्रधान न्यायाधीश

कुटुम्ब न्यायालय, बदायूँ

प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय, बदायूं

Scanned with OKEN Scanner

शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024

विकल्प पत्र

1. नाम - **परशुराम**
2. वर्तमान पदनाम – **अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बदायूँ, उ०प्र०।**
3. वेतनमान – **Level J-5, (144840-194660)**
   बेसिक वेतनमान – 1,67,920/-(माह अगस्त, 2024)
4. वर्तमान विभाग का नाम – **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (न्याय विभाग), उ०प्र०।**
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम – **लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश**
6. विज्ञप्ति की तिथि- **31.12.2002 [विज्ञापन सं० A- 4/E–1/2002] [For APO]**
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि- **28.03.2005 [उ०प्र० शासन गृह (पुलिस) अनुभाग-9 कार्यालय ज्ञापन संख्या-668/छ-पु०-9-31(100)/2004 [for APO]**
8. योगदान की तिथि - **11.04.2005 [सहायक अभियोजन अधिकारी (प्रशिक्षु) डा० भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद]**
9. जन्म तिथि - **16.08.1973**
10. सेवानिवृत्ति की तिथि - **31.08.2033**

मैं..................**परशुराम**............ पुत्र..........**स्व० श्री मेवालाल**............ शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/ 2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत ....**पुरानी पेंशन योजना (✓)**............ में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाये।

हस्ताक्षर- [signature] 22/08/24
नाम- परशुराम
पदनाम- अपर प्रधान न्यायाधीश, बदायूँ ।
(ID.N0.-UP6451)

घोषणा पत्र

मैं....... **परशुराम**..... पदनाम.... **अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जनपद–बदायूँ**... यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर- [signature] 22/08/24
नाम- परशुराम
पदनाम- अपर प्रधान न्यायाधीश, बदायूँ ।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री.....**परशुराम**... पदनाम-...**अपर प्रधान न्यायाधीश, बदायूँ**...को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **पुरानी पेंशन योजना (✓)** में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

[signature] 23.8.2024
कार्यालयाध्क्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय बदा॰

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश शासन,
नियुक्ति अनुभाग-4
संख्या-568/दो-04-2012-23(4)/2010
लखनऊ : दिनांक 03-8 ~~जुलाई~~, 2012

कार्यालय ज्ञाप

संयुक्त निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-3826/बार 3429/एडमिन(ए) दिनांक 30.08.2010 एवं उप निबन्धक(एम), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-3844/बार 3429/एडमिन(ए) दिनांक 20.03.2012 द्वारा श्री परशुराम, सिविल जज के उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में दिनांक 21.06.2006 की अपरान्ह अर्थात दिनांक 22.06.2006 पूर्वान्ह में योगदान करने से पूर्व राज्य सरकार के अन्तर्गत अभियोजन विभाग में सहायक संवायोजन अधिकारी के पद पर दिनांक 11.04.2005 से 20.06.2006 के अपरान्ह तक की गयी सेवाओं को सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के साथ जोड़े जाने के सम्बन्ध में प्राप्त आख्या/संस्तुति के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री परशुराम, सिविल जज के उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में दिनांक 21.06.2006 की अपरान्ह अर्थात दिनांक 22.06.2006 पूर्वान्ह में योगदान करने से पूर्व राज्य सरकार के अन्तर्गत सहायक सेवायोजन अधिकारी के पद पर दिनांक 11.04.2005 से 20.06.2006 के अपरान्ह तक की गयी सेवाओं को मात्र सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद 370 के अधीन आगणित किये जाने एवं दिनॉक- 21.06.2006 (01दिन) के व्यवधान को मर्षित करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि श्री परशुराम नयी पेंशन योजना, जो अंशदायी पेंशन योजना है, की योजना से आच्छादित होंगे। श्री परशुराम की नियुक्ति की प्रथम तिथि 11.04.2005 से नयी पेंशन योजना के सदस्य माने जायेंगे तथा अभिदान अंशदान की कटौती माह मई, 2005 भुगतान माह जून, 2005 से प्रारम्भ मानी जायेगी। नयी पेंशन योजना में पेंशनरी लाभों हेतु अलग से सेवाएँ जोड़े जाने की आवश्यकता नहीं है। मात्र औपचारिक आदेश जारी किये जा रहे हैं। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 21.6.2006 (एक दिन) के सेवा व्यवधान को किसी भी दशा में अर्हकारी सेवा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के अशासकीय संख्या-3-567/दस-2012 दिनांक 29 जून, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-568(1)-दो-04-2012-तददिनॉक

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2 महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को श्री परशुराम, न्यायिक अधिकारी की पूर्व/वर्तमान न्यायिक सेवापुस्तिका मूलरूप में दो अदद सहित।
3- पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन 8वॉं तल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4 अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
5 श्री परशुराम, सिविल जज (सी0डि0), नगीना, जनपद बिजनौर।
6 वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
7 गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,
(योगेश्वर राम मिश्र)
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner